

## [श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

गम्भीर समस्या की ओर व्यान दिलाया था। जिस समय आप इसी आसन पर विराजमान थे उस समय कहा था कि श्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु की जांच को लेकर तरह-तरह की बातें हो रही हैं। अभी यह पता लगा कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके बयानों को फिर से बरलवाया जा रहा है। यह बड़ी गम्भीर बात है। मैं चाहता हूँ कि आप सरकार से कहें कि वह तत्काल इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें, वर्ना तरह-तरह की भ्रातियां पैदा होने की आशंका है।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : सभापति महोदय, इस मामले में सारा देश बड़ा उद्घिन है और जिस प्रकार से श्री टी० एन० कौल मास्को गये तथा जिस प्रकार की ओर बातें हो रही हैं उनसे यह भ्रम फैल रहा है कि दाल में कुछ काला है। इसलिए इस मामले में पेशबन्दी होनी चाहिए और मुलाजिमों पर जो दबाव डाला जा रहा है उस पर रोक लगनी चाहिए। साथ ही जो मांग उठ रही है उसकी पूर्ति होनी चाहिए।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : मैं भी इस मांग का समर्थन करता हूँ कि इस मामले में जांच होनी चाहिए। जब श्री शास्त्री की पत्नी ने कहा है कि जांच होनी चाहिये तब यह और आवश्यक हो जाता है और इस बारे में देश का समाधान होना चाहिये।

सभापति महोदय : इस समय यह सवाल कहाँ से आ गया। सुवह श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने इस को उठाया था।

श्री श्रीचन्द्र गोयल (चण्डीगढ़) : जब यह प्रश्न उठा दिया गया है और जब आप ने उस की अनुमति दे दी, तब मैं समझता हूँ कि सदन इस बात की अपेक्षा कर सकता है कि सरकार इस सम्बन्ध में उचित कदम उठाये ताकि

नाजायज रूप में सरकारी कर्मचारियों पर दबाव न लाया जा सके और रेकार्ड न बदला जा सके। इस बात की पूरी व्यवस्था करना आवश्यक है।

श्री इसहाक सम्भली (अमरोहा) : यह बात आज बिल्कुल पोलिटिकल खयाल से उठाई जा रही है (व्यवधान) पांच साल के बाद यह सवाल उठाया जा रहा है इससे मानूस होता है... (व्यवधान) मैं चाहता हूँ...

सभापति महोदय : इस तरह से तो कोई काम नहीं होगा कि जिसकी मर्जी हो वह बिना चेप्रर के परमिशन के जब चाहे बोलना शुरू कर दे। मैंने श्री शास्त्री को बुलाया, उन्हाने कह दिया और सारी बातें खत्म हो गई अगर बार-बार इस तरह की बातें आती हैं तो गवर्नरमेंट जाने और सदन जाने।

श्री योगेन्द्र शर्मा (बेगुसराय) : आप खुद ऐसी परिस्थिति पैदा करते हैं। इस समय क्या कारण था कि आपने इस सवाल को उठाने का मौका दिया? सभापति महोदय, आपने माननीय सदस्य को यह सवाल उठाने का मौका क्यों दिया, जबकि उसका कोई मौका नहीं था?

16.21 hrs.

### CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL—(Contd.)

(Amendment of Articles 330 and 332)

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति महोदय हम लोग पिछले सत्र से श्री सूरज भान के संविधान (संशोधन) विधेयक पर विचार कर रहे हैं और आज उसको अन्तिम रूप से पास करने जा रहे हैं। यह विधेयक बहुत ही छोटा है और इसमें कुछ शब्द ही बदले जाने की चर्चा है। लेकिन इसके बावजूद यह विधेयक

बड़ा महत्वपूर्ण है और छोटा होते हुए भी देश के लिए इसका बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए मैं इसका जोरदार समर्थन करते हुए आपकी सेवा में दो तीन बातें निवेदन करना चाहता हूँ।

इस विधेयक में संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 में संशोधन करके यह व्यवस्था की गई है कि लोक सभा और विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए रिजर्व की गई सीटें की संख्या सम्बन्धित राज्य या यूनियन टेरीटरी में इन जातियों की जनसंख्या के अनुपात से कम न हो। आप जानते ही हैं कि लोक सभा और विधान सभाओं में इन जातियों के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था को दस वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। इस समय इन दो अनुच्छेदों में जो शब्दावली है, उसके मुताबिक इन जातियों को अपनी जनसंख्या के अनुपात में पूरा प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है। इस प्रकार की उनकी जनसंख्या के कुछ भाग को नजर अन्दाज कर दिया जाता है। इस विधेयक के द्वारा उस त्रुटि को दूर करके लोक सभा और विधान सभाओं में इन जातियों की जनसंख्या के मुताबिक पूरा प्रतिनिधित्व दिये जाने की व्यवस्था की गई है।

यह एक इन्सेंट संशोधन है और इस सदन के सब सदस्य इसका समर्थन कर रहे हैं। सरकार के लोग भी समर्थन करेंगे और उन्हें करना चाहिए। अभी तक यह बात ठीक है कि हमने उनके लिए सीटों का संरक्षण किया है लेकिन अभी तक जो वांछित सुधार होना चाहिए या आदिम जाति और अनुसूचित जाति की स्थिति में वह नहीं हो सका है गो कि इससे उन्हें आगे बढ़ने में मदद मिली है। उन्हें पूरा-पूरा आगे बढ़ने के लिए पूरा मोका मिले दूसरों की तरह उसके लिये यह जरूरी है कि उन्हें आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और हर तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश की जाय

जिनके पास जमीन नहीं है उन्हें जमीन दी जाय, जिनके पास रहने के लिए खोपड़ी नहीं है उन्हें खोपड़ी दी जाय उन्हें काम दिया जाय जो बेकार है। यह जब तक हम नहीं करेंगे तब तक उन की स्थिति में क्रान्तिकारी या बुनियादी परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद हम इस अधिकार को उन्हें प्रदान करें कि अनुपात के अनुसार उन्हें असेम्बलियों में और लोक सभा में और इतना ही नहीं मंत्रिमंडल में भी स्थान दिया जाये चाहे वह केन्द्र का मंत्रिमंडल हो या राज्य का मंत्रिमंडल हो, उसमें भी उन्हें अनुपात के मुताबिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि इन संशोधनों को स्वीकार किया जाय। अगर हम सचमुच में चाहते हैं अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों को आगे बढ़ाना तो कम से कम यह संशोधन स्वीकार करके आगे आने वाले जो चुनाव हैं उसमें उन्हें सही माने में हम प्रतिनिधित्व दिलायें।

दूसरी बात में यह कहना चाहता हूँ कि ओट देने का अधिकार सब लोगों को है, यह बात संविधान में लिखी हुई है। लेकिन काम में क्या होता है, व्यवहार में क्या होता है आप जानते हैं, आपके सेत्र में भी होता होगा और दूसरे सेत्रों में भी होता है कि जो हरिजन हैं उन्हें अधिकार प्राप्त है ओट देने का, उम्मीदवार खड़े करने का जहां उनके लिए रिजर्व्ड नीट है वहां या जहां उनके लिए रिजर्व्ड सीट नहीं है वहां भी लेकिन घनी वर्ग के लोग, निहित स्वार्थ के लोग, स्वतन्त्र पार्टी और जनसंघ के पीछे चलने वाले लोग... (व्यवधान)... इनकी पार्टी नहीं, इनके पीछे चलने वाले लोग उनको रोकते हैं। मेरा प्रनुभव है...

श्री श्राटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर) : सभापति जी, यह विधेयक हमारे मेम्बर ने यहां रखा है और यह हमारे खिलाफ बोलते हैं...

श्री रामावतार शास्त्री : नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। श्री राम सुभग सिंह की पार्टी के लोग भी... (व्यवधान)

### **EMPLOYMENT GUARANTY BILL\***

**DR. RAM SUBHAG SINGH (Buxar) :** I beg to move for leave to introduce a Bill to provide a guaranty for employment to every citizen of the age of eighteen years or more and in particular to the citizens belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, who have been registered at the Employment Exchanges.

**MR. CHAIRMAN :** The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill to provide a guaranty for employment to every citizen of the age of eighteen years or more and in particular to the citizens belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, who have been registered at the Employment Exchanges."

*The motion was adopted.*

**DR. RAM SUBHAG SINGH :** I introduce the Bill.

### **CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL\***

#### **(Substitution of Article 155)**

**DR. RAM SUBHAG SINGH (Buxar) :** I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

**MR. CHAIRMAN :** The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

*The motion was adopted.*

**DR. RAM SUBHAG SINGH :** I introduce the Bill.

### **CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL—*Contd.***

#### **(Amendment of articles 330 and 332)**

श्री रामावतार शास्त्री : तो मैं यह कह रहा था कि जो उन्हें अधिकार प्राप्त हैं उन अधिकारों का प्रयोग करने में उन्हें तरह तरह की कठिनाइयां होती हैं। लाठी के जरिए बोटरों को रोक दिया जाता है जो हमारे जनतंत्र के विकास के लिये बड़ा ही खतरनाक है पिछले चुनावों में भी ऐसा हुआ है और आगे भी खतरा है।

**SHRI P. K. DEO (Kalahandi) :** Sir, I would like to move a closure motion. The same point is repeated over and over again by every hon. Member. Irrespective of parties, everybody is supporting it. So, the motion of Shri Suraj Bhan may be put to vote, because there are several other important measures yet to be taken up. So, I would like to bring a closure motion.

**MR. CHAIRMAN :** Please do not bring the closure motion. A few Members are yet to speak. Please allow them time. Acharyaji will have the opportunity—I will give him the opportunity—to move for consideration of his Bill.

**SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) :** We are also committed to Acharya Kripalani to make his speech. Time will be left so that Acharyaji is able to make his speech. What is his fear? I do not know why the ex-Maharaja is so much interested in it.

श्री रामावतार शास्त्री : मैं यह कह रहा था कि उन्हें जो अधिकार प्राप्त हैं, उन्हीं अधिकारों को और ज्यादा सुरक्षित करने के लिये यह बिल श्री सूरज भान जी ने यहां पेश किया है। मैंने प्रारम्भ में ही कह दिया था कि मैं इस बिल का पूरा-पूरा समर्थन करता हूँ और समर्थन करते हुए ही हमारे देश में आज तक जो परिपाटी चली आ रही है, उसकी तरफ

\*Published in the Gazette of India Extra-ordinary, Part II, Section 2 dated 12-11-1970.